डॉ. बी. राजेन्दर
भा० प्र० से०
अपर मिशन निदेशक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक– बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध–36/2011 सो....450.... दिनांक 17/05/2013

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषय– **RTPS के तहत अधिसूचित सेवाओं के इनकार या बिलम्ब किये जाने की स्थिति में नामनिर्दिष्ट लोक सेवक द्वारा संबंधित आवेदक को सूचना संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सेवा यात्रा के दौरान समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कतिपय कार्यालयों में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं के इनकार या बिलम्ब किये जाने की स्थिति में नामनिर्दिष्ट लोक सेवक द्वारा संबंधित आवेदक को इसकी सूचना नहीं दी जाती है, जो लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के कंडिका–5 में किसी सेवा से इनकार या विलम्ब किये जाने की स्थिति में नामनिर्दिष्ट लोक सेवक द्वारा पात्र और/अथवा सेवा के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति को संसूचित करने का प्रावधान है

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अधिनियम के तहत अधिसूचित किसी सेवा से इनकार या विलम्ब किये जाने की स्थिति में आवेदक को संसूचित करने संबंधी प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन
17.5.2013
(डा0 बी0 राजेन्दर)
अपर मिशन निदेशक

कार्यालयः– सिंचाई बैरक नं. –1 हार्डिंग रोड, पटना,–800015 फोनः–0612–2545191, फैक्स–0612–2215908
e-mail : amd.bpsm@gmail.com, web : www.bpsm.bih.nic.in